रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 805] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 2, 2013/चैत्र 12, 1935
No. 805] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 2, 2013/CHAITRA 12, 1935

जल संसाधन मंत्राालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 अप्रैल, 2013

का.आ. 916(अ).– अन्तरराज्यिक नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 (1956 का 33) की धारा 4 के अधीन अधिसूचना संख्यांक का.आ. 451 (अ) द्वारा 2 अप्रैल, 2004 को कृष्णा जल विवाद अधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिकरण कहा गया है) का गठन अन्तरराज्यिक कृष्णा नदी और उसकी नदी घाटी से संबंधित जल विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए किया गया था;

और उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन उक्त अधिकरण से अपेक्षा की गई थी कि वह अपनी रिपोर्ट और विनिश्चय 1 अप्रैल, 2007 को या उससे पूर्व प्रस्तुत करें;

और उक्त अधिकरण ने रिपोर्ट और विनिश्चय को प्रस्तुत करने की अवधि को समय–समय पर बढ़ाने का अनुरोध किया था;

और केन्द्रीय सरकार ने अधिसूचना संख्यांकों का0आ0 400(अ) तारीख 20 मार्च, 2007 का.आ. 414(अ) तारीख 3 मार्च, 2008 और का0 आ0 2116(अ) तारीख 27 अगस्त, 2008 द्वारा रिपोर्ट और विनिश्चय को करने की अवधि को 1 अप्रैल, 2009 तक के लिए बढ़ाया था;

और कर्नाटक सरकार ने माननीय उच्चतम न्यायालय से रिट याचिका (सिविल) सं0 408/2008 द्वारा निवेदन किया कि वह केन्द्रीय सरकार को फरवरी या मार्च, 2006 की तारीख को अधिकरण के गठन के लिए निश्चित करने का निदेश दें;

और माननीय उच्चतम न्यायालय ने 17 दिसम्बर, 2008 को मामले की सुनवाई की और यह निदेश दिया कि उक्त अधिनियम, की धारा 3 के अधीन कृष्णा जल विवाद अधिकरण के गठन की प्रभावी तारीख 1 फरवरी, 2006 होगी;

और उक्त अधिकरण ने अपनी रिपोर्ट और विनिश्चय प्रस्तुत करने की अवधि को तदनुसार 1 फरवरी, 2009 से एक वर्ष की और अवधि के लिए बढ़ाने का अनुरोध किया था;

और न्यायालय के आदेश पर विचार के पश्चात, अधिसूचना संख्यांक का0आ0 2116(अ) तारीख 27 अगस्त, 2008 और उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) के परंतुक पर विचार करने के पश्चात्, केन्द्रीय सरकार ने अधिसूचना सख्यांक का0 आ0 543(अ) तारीख 25 फरवरी, 2009 द्वारा रिपोर्ट और विनिश्चय की प्रस्तुत करने की अवधि को 1 फरवरी, 2009 से एक वर्ष की और अवधि के लिए प्रभावी, 31 जनवरी, 2010 तक बढ़ाया था;

और उक्त अधिकरण ने रिपोर्ट और विनिश्चय को प्रस्तुत करने की अवधि को पुनः बढाने का अनुरोध समय–समय पर किया था ;

और केन्द्रीय सरकार ने अधिसूचना संख्यांकों का0आ0 212 (अ) तारीख 29 जनवरी, 2010, का0आ0 2347(अ) तारीख 28 सितम्बर, 2010 और का0आ0 2847(अ) तारीख 26 नवम्बर, 2010 द्वारा रिपोर्ट और विनिश्चय प्ररस्तु करने की अवधि को 31 दिसम्बर, 2010 तक के लिए बढ़ाया था;

और, उक्त अधिकरण ने उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) के परंतुक के अधीन अपनी रिपोर्ट और विनिश्चय 30 दिसम्बर 2010 को प्रस्तुत कर दिया ;

और, केन्द्रीय सरकार और पक्षकार राज्यों आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र ने और अंत में महाराष्ट्र राज्य और केन्द्रीय सरकार द्वारा उनसे संबंधित संदर्भों को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (3) के अधीन उक्त अधिकरण के पास तारीख 29 मार्च, 2011 को भेजे हैं।

और, उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (3) के अधीन उक्त अधिकरण द्वारा अतिरिक्त रिपोर्ट तारीख 29 मार्च 2011 से एक वर्ष पर या उस तारीख से पहले तक केन्द्रीय सरकार को भेजना अपेक्षित था;

और उक्त अधिकरण ने उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (3) के परंतुक के अधीन अतिरिक्त रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अवधि तारीख 30 सितम्बर 2012 तक बढ़ाने के लिए अनुरोध किया था; और केन्द्रीय सरकार ने अधिसूचना संख्यांक का0आ0 653 (क) तारीख 29 मार्च, 2012 द्वारा रिपोर्ट और विनिश्चय प्रस्तुत करने की अवधि को 30 सितम्बर, 2012 तक के लिए बढ़ाया था;

और उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (3) के अधीन अधिकरण द्वारा अतिरिक्त रिपोर्ट तारीख 30 सितम्बर, 2012 को या उस तारीख से पहले तक केन्द्रीय सरकार को भेजना अपेक्षित था;

और उक्त अधिकरण ने उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (3) के परंतुक के अधीन अतिरिक्त रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अवधि तारीख 31 मार्च 2013 तक बढ़ाने के लिए अनुरोध किया था; और केन्द्रीय सरकार ने अधिसूचना सख्यांक का0आ0 2339(अ) तारीख 28 सितम्बर, 2012 द्वारा रिपोर्ट और विनिश्चय प्रस्तुत करने की अवधि को 31 मार्च, 2013 तक के लिए बढ़ाया था;

और उक्त अधिकरण ने उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (3) के परंतुक के अधीन अतिरिक्त रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अवधि तारीख 30 सितम्बर 2013, तक बढ़ाने के लिए पुनः अनुरोध किया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (3) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिकरण द्वारा अतिरिक्त रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अवधि को तारीख 30 सितम्बर, 2013 तक बढ़ाती है।

[फा.सं. 17/1/2007—बी.एम.]
उर्विला खाती, संयुक्त सचिव (पीपी)

MINISTRY OF WATER RESOURCES
NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd April, 2013

S.O. 916 (E).— Whereas, the Krishna Water Disputes Tribunal (hereinafter referred to as the said Tribunal) was constituted on the 2nd April, 2004 *vide* notification number S.O. 451(E), dated the 2nd April, 2004, under section 4 of the Inter-State River Water Disputes Act, 1956 (33 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act) for the adjudication of the water disputes regarding Inter-State river Krishna and river valley thereof;

And whereas, the said Tribunal was required to submit its report and decision under sub-section (2) of section 5 of the said Act on or before the 1st day of April, 2007;

And whereas, the said Tribunal had requested to extend the period of submission of report and decision for further periods from time to time;

And whereas, the Central Government *vide* notifications number S.O. 400(E), dated the 20th March, 2007, S.O 414 (E), dated the 3rd March, 2008, S.O. 2116 (E), dated the 27th August, 2008 had extended the period of submission of report and decision up to the 1st April, 2009;

And whereas, the Government of Karnataka approached the Hon'ble Supreme Court vide writ petition (Civil) No. 408/2008 to direct the Central Government to reckon the date of constitution of the Tribunal as February or March 2006;

And whereas, the Hon'ble Supreme Court heard the matter on the 17th December, 2008 and directed that effective date of the constitution of the Krishna Water Disputes Tribunal under section 3 of the said Act would be the 1st February, 2006;

And whereas, the said Tribunal had again requested to extend the period of submission of its report and decision for a further period of one year with effect from the 1st February, 2009;

And whereas, after taking into consideration the Court order, the notification number S.O. 2116(E), dated the 27th August, 2008 and the proviso to sub-section (2) of section 5 of the said Act, the Central Government vide notification number. S.O. 543 (E), dated the 25th February, 2009, extended the period of submission of report and decision for a further period of one year with effect from the 1st February, 2009 up to the 31st January, 2010;

And whereas, the said Tribunal had again requested to extend the period of submission of report and decision for further periods from time to time;

And whereas, the Central Government *vide* notifications number S.O. 212(E), dated the 29th January, 2010, S.O. 2347(E), dated the 28th September, 2010 and S.O. 2847 (E) dated the 26th November, 2010 had extended the period of submission of report and decision up to the 31st December, 2010;

And whereas, the said Tribunal submitted its report and decision under sub-section (2) of section 5 of the said Act on the 30th December, 2010;

And whereas, the Central Government and the Party States of Andhra Pradesh, Karnataka and Maharashtra have preferred their respective references, lastly by the State of Maharashtra and the Central Government, to the said Tribunal under sub-section (3) of section 5 of the said Act on the 29th March, 2011;

And whereas, the said Tribunal was required to forward to the Central Government a further report under sub-section (3) of section 5 of the said Act on or before one year from the 29th March, 2011;

And whereas, on the request of the said Tribunal the period of submission of further report under the proviso to sub-section (3) of section 5 of the said Act was extended up to the 30th September, 2012 vide notification number S.O. 653 (E), dated the 29th March, 2012;

And whereas, the said Tribunal was required to forward to the Central Government a further report under sub-section(3) of section 5 of the said Act on or before the 30th September, 2012;

And whereas, on the request of the said Tribunal the period of submission of further report under the proviso to sub-section (3) of section 5 of the said Act was extended up to the 31st March, 2013 vide notification number S.O. 2339(E), dated the 28th September, 2012;

And whereas, the said Tribunal was required to forward to the Central Government a further report under sub-section(3) of section 5 of the said Act on or before the 31st March, 2013;

And whereas, the said Tribunal has again requested to extend the period of submission of further report under the proviso to sub-section (3) of section 5 of the said Act up to the 30th September, 2013;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of section 5 of the said Act, the Central Government hereby extends the period of submission of further report by the said Tribunal for a further period up to the 30th September, 2013.

[F.N. 17/1/2007-BM]
URVILLA KHATI, Jt. Secy. (PP)

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-11005